



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-322/21 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय स्पे0जज गैगेस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सीताराम पुत्र जंगबहादुर निवासी बिलरख, थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध करते 01 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री प्रवीण कुमार
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 भारत प्रसाद



पैरोकार
थाना- राठ
का0 प्रदीप भार्गव